

<u>प्रेस नोट</u> <u>जनपद सीतापुर</u>

छः अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में थाना रेउसा द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण/विक्रय के कार्यों में संलिप्त 02 अभियुक्तों एवम् थाना खैराबाद द्वारा चोरी/नकबजनी के अपराधों में लिप्त 04 अभियुक्तों समेत कुल 06 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है। अपराधियों की सम्पत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित सम्पत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। सभी अभियुक्तगण वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है। कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है-

कार्यवाही विवरण थाना रेउसा

थाना रेउसा पुलिस द्वारा भौतिक लाभ के लिये आपराधिक कृत्यों में लिप्त दो अभियुक्तगण 1.बंगाली उर्फ कुञ्ज बिहारी पुत्र गंगू निवासी ग्राम सरैया छतौना थाना थानगाँव, सीतापुर 2.रामसागर पुत्र सोनासर निवासी ग्राम मेवडी सेल्हवा थाना थानगाँव, सीतापुर के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी है जो अवैध शस्त्रों के निर्माण/विक्रय के कार्यों में लिप्त है। इस संबंध में थाना रेउसा पर मु0अ0सं0 334/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 334/2020 धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा सीतापुर अभियुक्तगण-

- 1. बंगाली उर्फ कुञ्ज बिहारी पुत्र गंगू निवासी ग्राम सरैया छतौना थाना थानगाँव, सीतापुर
- 2. रामसागर पुत्र सोनासर निवासी ग्राम मेवडी सेल्हवा थाना थानगाँव, सीतापुर

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त बंगाली उर्फ कुञ्ज बिहारी पुत्र गंगू नि0 ग्राम सरैया छतौना थाना थानगाँव, सीतापुर-

- 1. मु०अ०सं० 153/०६ धारा 5/२५ शस्त्र अधिनियम थाना थानगांव,सीतापुर।
- 2. मु0अ0सं0 264/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।

अभियुक्त रामसागर पुत्र सोनासर निवासी ग्राम मेवडी सेल्हवा थाना थानगाँव, सीतापुर-

- 1. मु0अ0सं0 153/06 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना थानगांव,सीतापुर।
- 2. मु0अ0सं0 264/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना रेउसा,सीतापुर।

कार्यवाही विवरण थाना खेराबाद

थाना खैराबाद पुलिस द्वारा चोरी व नकबजनी जैसे अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण 1.कासिम पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी 2.कमलेश पासी पुत्र बिहारी 3. अशरफ पुत्र हामिद अली 4. शहादत पुत्र हामिद अली निवासीगण ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना खैराबाद पर मु0अ0सं0 492/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर है जिनके विरुद्ध चोरी के अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध है।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० ४९२/२०२० धारा २/३ उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना खैराबाद सीतापुर अभियुक्तगण-

- 1. कासिम पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी
- 2. कमलेश पासी पुत्र बिहारी निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी
- 3. अशरफ पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी
- 4. शहादत पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी

अभियुक्तो के आपराधिक इतिहास का विवरण कासिम पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी

- 1. मु0अ0सं0 347/20 धारा 379/411/120बी भा.द.वि. थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।
- 2. मु0अ0सं0 351/20 धारा 307/34 भा.द.वि. थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

कमलेश पासी पुत्र बिहारी निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी

- 1. मु0अ0सं0 347/20 धारा 379/411/120बी भा.द.वि. थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।
- 2. मु0अ0सं0 351/20 धारा 307/34 भा.द.वि. थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

अशरफ पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी

- 1. मु0अ0सं0 347/20 धारा 379/411/120बी भा.द.वि. थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।
- 2. मुं0अ0सं0 351/20 धारा 307/34 भा.द.वि. थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।

शहादत पुत्र हामिद अली निवासी ग्राम शिवपुरी थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी

- 1. मु0अ0सं0 347/20 धारा 379/411/120बी भा.द.वि. थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।
- 2. मु0अ0सं0 351/20 धारा 307/34 भा.द.वि. थाना खैराबाद जनपद सीतापुर।